Dr. Purnima Singh
Department of Political Science
B.A Part-1 Paper-1
Topic - Justice - 2 Basic principles of Political theory
Lecture - 43

न्याय (Justice) - 2

न्याय के संबंध में ग्रीनो का विचार

जब प्रत्येक श्रेणी या वर्ग अपने - अपने कार्य पूरा करता है तथा दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करता तो ऐसी स्थिति को न्यायपूर्ण कहा जा सकता है। ग्रीनो का कहना है कि अगर मनुष्य केवल उस कार्य तक सीमित रहे जो उसके करने योग्य है अर्थात् जिस कार्य को प्राकृतिक रूप से वह करने योग्य है तथा दूसरे व्यक्तियों के कार्यों में हस्तक्षेप न करे तो इसे न्याय का नाम दिया जाता है। ग्रीनो के अनुसार समाज में तीन (शासक वर्ग, सैनिक वर्ग व उत्पादक वर्ग) श्रेणियाँ हैं। शासक वर्ग का कार्य शासन करना, सैनिक वर्ग का कार्य रक्षा संबंधी कार्य पूरे करना एवं उत्पादक वर्ग का कार्य शासक वर्ग व सैनिक वर्ग की सहायता करना है।

ग्रीनो के अनुसार इन तीन श्रेणियों में सेमजोल विकसित करना ही न्याय कहलाता है, ग्रीनो का यह भी कहना है कि जब ये श्रेणियाँ अपने-अपने कार्यों को पूरा करती हैं जिसके लिए ये प्राकृतिक रूप से योग्य है तो वही न्याय होगा। ग्रीनो के अनुसार प्रत्येक वर्ग द्वारा अपने - अपने कर्तव्यों को पूर्ण करना ही न्याय का सार है। ग्रीनो के अनुसार, "एक न्यायपूर्ण समाज में हर व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करता है, वह दूसरे

के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करता।

प्लेटो ने दार्शनिक शासक की कल्पना की है। प्लेटो के अनुसार शासक वर्ग का अपना परिवार व सम्पत्ति नहीं होगी। व पूरे समाज व सामाजिक सम्पत्ति को अपनी समझेगा, तभी न्याय स्थापित किया जा सकता है। अरस्तू ने अपने गुरु प्लेटो के विचार को आगे बढ़ाते हुए कहा था कि "यदि बाँसुरी बाँटी जाए तो निश्चय ही उन लोगों को दी जाए जो बाँसुरी बजाना जानते हो।" इसी प्रकार शासन का अधिकार उन्हें मिलना चाहिए जो शासन करने की योग्यता रखते हो। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि प्रत्येक व्यक्ति को वही कार्य करने के लिए दिए जाने चाहिए जिसके लिए वह उपयुक्त हो। यही कारण है कि एथेन्स, स्पार्टा व अन्य यूनानी राज्यों में दासों महिलाओं व विदेशियों को नागरिकता के अधिकार प्राप्त नहीं थे।

2. न्याय के संबंध में उदारवादी विचार (Liberal views of justice)

उदारवाद की विचारधारा ने व्यक्तिगत स्वतन्त्रता को बहुत अधिक महत्व दिया है। परम्परावादी उदारवाद में व्यक्ति की स्वतन्त्रता को बहुत अधिक महत्वपूर्ण समझा जाता था। इस कारण उदारवादी "राज्य को एक आवश्यक बुराई" (State is an essential evil) मानते है। उदारवादियों द्वारा राज्य को आवश्यक बुराई मानने के पीछे तर्क यह रहा था कि राज्य व्यक्ति के कल्याण के नाम पर कानून बनाकर व्यक्ति की स्वतन्त्रता का हनन करते थे। प्राचीन उदारवादी विचारकों के अनुसार व्यक्ति

को जितनी स्वतन्त्रता मिलेगी, उतनी ही न्याय की स्थापना की जाएगी। आधुनिक उदारवादी स्वतन्त्रता को पूर्णतया महत्त्वपूर्ण मानते हैं, लेकिन इस विचारधारा ने राज्य को व्यक्ति की स्वतन्त्रता का विरोधी नहीं माना है। उनके अनुसार सकारात्मक स्वतन्त्रता केवल राज्य के कानूनों द्वारा ही संभव हो सकती है। सकारात्मक स्वतन्त्रता से अभिप्राय ऐसी स्वतन्त्रता से है जो व्यक्ति की अपेक्षा सामूहिक समाज के हित में हो।

बाद के उदारवादियों के अनुसार राज्य की शक्ति द्वारा व्यक्ति की स्वतन्त्रता व राज्य की शक्ति को समाज के हित में नियमबद्ध करना ही न्याय का सही अर्थ है। यदि अगर तीनों बातों यदि ऊपर लिखित तीनों बातों में उचित संतुलन व समन्वय नहीं होगा तो ऐसी परिस्थितियों में न्याय की स्थापना नहीं की जा सकती है। उन्होंने यह भी माना कि राज्य में ऐसे कानून बनाने पड़ेंगे जिससे आर्थिक असमानता समाप्त हो तथा सामान्य लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य व आर्थिक विकास के उचित अवसर प्राप्त हो सकें। सामान्यत: कहा जा सकता है कि उदारवादी विचारानुसार राज्य के कानूनों द्वारा व्यक्ति की स्वतंत्रता को सामाजिक भलाई के अनुसार अधिक-से-अधिक नियमित करना ही अपने-आप में न्याय कहलाता है।

न्याय की धारणा के संबंध में मार्क्सवादी विचार

कार्ल मार्क्स और एंजेल्स ने एक नई व्यवस्था का चित्र पेश किया जिसमें सम्पत्ति के न्यायसंगत वितरण पर बल दिया गया। उनके अनुसार न्यायसंगत व्यवस्था वह है, "जिसमें हर व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करे और प्रत्येक को आवश्यकता अनुसार वेतन मिले।"

(From each according to the ability, to each according to his needs)

कार्ल मार्क्स का मानना था कि आर्थिक विषमता वाला समाज सदा अन्यायी होता है, क्योंकि उसमें निर्धन व्यक्ति के साथ हमेशा अन्याय होता है। कार्ल-मार्क्स ने ऐतिहासिक भौतिकवाद व द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद की व्याख्या करके यह बताने का प्रयास किया है कि समाज में हमेशा दो वर्ग पाए जाते रहे हैं। एक वर्ग को उच्च वर्ग / धनी वर्ग अथवा शासक वर्ग के नाम से जाना जाता है और दूसरा वर्ग निम्न / निर्धन वर्ग अथवा शोषित वर्ग कहलाता है। कार्ल मार्क्स के अनुसार समाज या शासन प्रणाली का कोई भी रूप क्यों न रहा हो, निम्न वर्ग का हमेशा शोषण किया जाता है। राज्य तथा सरकार भी उच्च वर्ग की पोषक रही है। कार्ल मार्क्स ने न्याय के अस्तित्व को आर्थिक प्रणाली के साथ जोड़ा है। उनके मतानुसार पूँजीवादी आर्थिक प्रणाली में न्याय का अस्तित्व एक असंभव है, क्योंकि ऐसी प्रणाली सदा दो विरोधी गुटों को जन्म देती है जिनमें संघर्ष बना रहता है। पूँजीवादी समाज निजी सम्पत्ति की धारणा पर आधारित होता है तथा निजी सम्पत्ति न्याय के रास्ते में एक बहुत बड़ी बाधा है। मार्क्सवादियों के अनुसार एक वर्गरहित तथा राज्यविहीन समाज में ही न्याय का अस्तित्व संभव हो सकता है। यही कारण है कि कार्ल मार्क्स ने एक क्रांति द्वारा मजदूर वर्ग को सर्वहारा वर्ग की तानाशाही की स्थापना के लिए प्रेरित किया था, ताकि एक वर्गरहित व राज्यविहीन समाज की स्थापना हो सके जिसमें न्याय का अस्तित्व संभव हो सके